

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (लिक नं0-2674) अलेसे-1/5174-78 दिनांक:- 04/07/2024

संशोधन आदेश

श्री प्रमोद कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिक नं0 2674) द्वारा वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.15(85)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 01.08.2023 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 8 एवं 9 के तहत विकल्प परिवर्तन कर नवीन वेतनमान दिनांक 01.07.2017 से लिये जाने के कारण, निदेशालय द्वारा विभागीय आदेश संख्या 92/2023-24 दिनांक 29.01.2024 द्वारा पूर्व में दिनांक 01.06.2017 से स्वीकृत द्वितीय एसीपी जो पे-मैट्रिक्स के लेवल 12 में स्वीकृत की गई थी, के स्थान पर दिनांक 01.06.2017 से द्वितीय एसीपी पे-बैंड-2 (9300-34800) ग्रेड-पे 4800/- में स्वीकृत की जाती है। अन्य शर्तें यथावत रहेगी।


उक्त संशोधन के कारण दिनांक 01.01.2016 से किये गये अधिक भुगतान की एकमुश्त वसूली की जायेगी।

  
(भूपेश मथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (लिक नं0-2674) अलेसे-1/5174-78 दिनांक:- 04/07/2024  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, उदयपुर (ग्रामीण)।
2. श्री प्रमोद कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय कोषालय, उदयपुर (ग्रामीण)।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।

  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)